न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 20/14

ज्ञानचन्द पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी 13 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 11 क्यू जरिये सरपंच 11 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. रणजीत पुत्र लेखराम जाट
3. राम लाल पुत्र लेखराम जाट
4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी आत्माराम जाट
5. श्रीमती रेशमी पत्नी श्री काशी राम जाट
6. श्रीमती सन्तरो पत्नी देवी लाल जाति जाट
   सकनाए 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20–12–2001 व 20.12.03 भूखण्ड सं0 9–10–11

उपस्थित : 1. श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण सं0 2–3–4
3. श्री भगतसिंह जाखड़, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 5–6

आदेश

दिनांकः 9–3–17

प्रस्तुत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम के मौजिज व्यक्तियों ने अप्रार्थी सं0 2 से 6 को अतिकमण हटाने के लिए दिनांक 15–1–14 को कहा तो उन्होनें कहा कि ग्राम पंचायत से पट्टे जारी करवा रखे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20–12–01 व 20.12.03 को पंचायत राज प्रावधानों के विपरीत बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थी सं0 2 से 6 को पट्टे जारी कर दिये गये हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 157 के अन्तर्गत पुराने बने मकानों का नियमन किया जाकर पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायत राज नियम 142 से 167 की पालना नहीं की गई है। नियमन करने के लिए प्रारूप 167(1) जो आबादी भूमि का विकय विलेख के अन्तर्गत पट्टा काटा गया है जबकि नियमन के लिए संधारित किया जाने वाला प्रारूप 23(क) का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 के नियम 271 के अन्तर्गत आबादी भूमि का विकय विलेख दिनांक 20–12–2001 एवं 20–12–2003 को अप्रार्थी सं0 2 से 6 को भूखण्ड सं0 9–10–11 का आवंटन किया गया है। आवंटन की दिनांक को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के प्रावधान लागू हो गये थे। राज0 पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 167(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाना चाहिये था, जो एस0आर0 रेट/बाजार रेट पर किया जा सकता था। ग्राम पंचायत अपने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अधिकार द्वोत्र से बाहर जाकर आवंटन किया गया है। निगरानीकृत भूखण्ड प्रथमतः ही अवैध हैं। ऐसे अवैध आदेश के विरूद्व मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1992 पेज 337, आर0एल0डब्ल्यू0 2012(2) आरजे पेज 1091 एवं 2012(3) डीएनज (राज0) पेज 1399 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। निगरानीकृत भूखण्डों के आवंटन से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। नियम 142 से 162 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी सं0 2 से 4 के हक में जो आवंटन किया गया है, वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। आवंटन विधि के प्रावधानों के विपरीत किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्डों का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं0 2 से 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। प्रत्येक पट्टे की पृथक–2 निगरानी की जानी चाहिये थी। निगरानीकृत आदेश/प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है। भिन्न–2 आवंटन आदेशों एवं सभी पट्टों की एक ही निगरानी पेश की गई है, जो विधिसम्मत् नहीं है। बहस में आगे यह भी कहा है कि भूखण्ड सं0 9–10–11 विधिसम्मत् तरीके से पंजीबद्व है इसलिए पंजीबद्व पट्टों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2017(1) पेज 139, 2016(1) डीएनजे (राज0) पेज 551 एवं आर आर टी 2015 (2) पेज 967 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी खारिज की जावे।

अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 5 व 6 को उनके कब्जा शुदा भूखण्ड पर बने मकान को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत निर्धारित राशि जमा करवा कर नियमन कर, पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रकिया अपना कर पट्टा जारी किया गया है। निगरानी अत्यधिक देरी से पेश की गई है। निगरानीकर्ता हितबद्व पक्षकार नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया! पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को जारी किये गये पट्टों को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी सं0 2 से 4 को आवंटित किए गए भूखण्ड सं0 9–10–11 कब्जा शुदा भूखण्ड पर बने मकान को नियमन कर पट्टे जारी किये गये हैं, के विरूद्व एक ही निगरानी दायर कर भूखण्ड निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है, जो विधिसम्मत् नहीं है। इसके खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है कि पृथक–2 निगरानी पेश की जानी हो।

इस संबंध में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टिान्त आर आर टी 2017(1) पेज 139 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

पंजीयन अधिनियम, 1908 – धारा 17(1(बी)ए32ए34ए35ए68ए69 व 72 – मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 19607 धारा 64 भारत का सविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 परिशमन विलेख व पश्चात्वर्ती विलेखों को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र – प्रार्थना पत्र खारिज किया – उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज की – एक बार दस्तावेज रजिस्टर्ड होने के बा, 1908 के अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्राधिकारी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है – अपील का उपचार उपलब्ध था – निर्णित, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2016(1)डीएनजे (राज0) पेज 551 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

(ख) Constitution of India, 1950 - Art. 227 - Tw0 orders challenged in one petition - Held, Not permissible.

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015(2)आर आर टी पेज 967 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994– धारा 97 विक्रय पत्र का निष्पादन – 6 वर्ष तक आवंटन को चुनौति नहीं देने के लिए स्पष्टीकरण नहीं – 19.1.1999 को भूमि विक्रय की – निगरानी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कलक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता – सिविल वाद उचित उपचार था – तथ्य के प्रश्न – अन्तग्रस्त – निर्णित, स्पेशल अपील खारिज की।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकृत भूखण्ड सं0 9–10–11 के संबंध में जारी पट्टे विधिसम्मत् तरीके से पंजीकृत दस्तावेज हैं। पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में सिविल न्यायालय में ही विधिसम्मत् कार्यवाही की जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने के संबंध में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है।

जहॉ तक अप्रार्थी सं0 5 व 6 को किए गए आवंटन का प्रश्न है, अप्रार्थी सं0 5 व 6 को दिनांक 20–12–2003 को ग्राम पंचायत द्वारा क्रमशः प्रस्ताव सं0 27 व 28 से कब्जा शुदा भूखण्ड पर बने मकान का निर्धारित शुल्क दो सौ रूपये जमा करवा कर पट्टे जारी किये गये हैं। पट्टों पर इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कब्जा शुदा भूखण्ड पर बने मकान का नियमन किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 की पालना में अप्रार्थी सं0 5 व 6 को पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, वे तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत निगरानी प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी क्षेत्राधिकार से बाहर होने व पोषणीय नहीं हाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी क्षेत्राधिकार से बाहर होने व पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 9–3–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.3.17

(करतारसिंह पूनिया)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner